निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

जलेब चौक
फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक : गृरमु/स्टेशनरी स्टोर/2018–19/5371-90 दिनांक :3/3/21

:– नीलामी सूचना –:

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि गृह रक्षा, मुख्यालय, भण्डार की कम्प्यूटर सामग्री एवं इलेक्ट्रिक नाकारा योग्य सामग्री राशि रूपये 13,40,957/– (अक्षरे तेरह लाख चालीस हजार नौ सौ सतावन मात्र) एवं अन्य कार्यालय सामग्री राशि रूपये 3,05,562/– (अक्षरे तीन लाख पॉच हजार पॉच सौ बासठ मात्र) कुल सामग्री राशि रूपये 16,46,519/– (अक्षरे सोलह लाख छियालीस हजार पॉच सौ उन्नीस मात्र) को दिनांक 25.03.2021 को प्रातः 12.00 बजे गृह रक्षा, जलेब चौक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के प्रांगण मे नियमानुसार गठित कमेटी द्वारा नीलाम किया जावेगा।

अतः इच्छुक खरीददार जो बोली लगाना चाहें वे निश्चित समय एवं दिनांक को स्वयं के खर्चे से उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। शर्ते एवं अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

:– नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नानुसार होगी –:

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी में बोली लगाने से पूर्व पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत राशि बतौर धरोहर राशि जमा करानी होगी जो नीलामी के पश्चात वापिस लौटा दी जावेगी।
2. सामग्री जैसी हैं जहॉं हैं के आधार पर नीलाम की जावेगी। नीलामी योग्य सामान का निरीक्षण/अवलोकन किसी कार्य दिवस को गृह रक्षा, जलेब चौक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर कार्यालय समय में आकर किया जा सकता हैं।
3. अन्तिम बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा किसी भी अन्य कारण से नीलामी स्थगित/रदद् करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
4. नीलामी की कार्यवाही निर्धारित कमेटी द्वारा की जावेगी, किसी कारण वश कमेटी के सदस्य उपस्थित न होने पर नीलामी स्थगित की जा सकती हैं।
5. नीलाम किये गये सामान पर नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
6. बोली स्वीकृत हो जाने पर बोली लगाने वाले को बोली छूटने पर सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा नाकारा सामान स्वयं के खर्चे पर तुरन्त उठाना होगा।
7. नीलामी कमेटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि वसूल नहीं होती हैं तो कमेटी को बोली को रदद् करने का अधिकार होगा जिस पर कोई दावा नहीं होगा।
8. बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
9. बोली लगाने से पूर्व कमेटी द्वारा रखी शर्ते मान्य होगी।
10. नीलामी की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।
11. कम्प्यूटर आईटम एवं इलेक्ट्रोनिक्स आईटमों के लिए ई–वेस्ट कय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होगा।

(पंकज महर्षि)
उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–जी,जयपुर।
4. कार्यालयाध्यक्ष, उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. रोकड़पाल, कार्यालय हाजा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/केन्द्रीय भण्डार, गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री मदन मोहन जोशी, कनिष्ठ लिपिक, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8. स्थानीय कबाड़ी मैसर्स ....

उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।